न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 342/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/549

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
गोबरराम गोदपुत्र वनाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली मूलराज क्यार तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित।

:–आदेश:–

दिनांक 15/9/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम साजियाली मूलराज क्यार 11 तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिस पर प्राथी का कब्जा–काश्त आ रहा है। प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का गिरधारीराम है,जबकि प्रार्थी सामाजिक रिति रिवाज अनुसार वनाराम के गोद चला गया था तथा प्रार्थी के अन्य सरकार दस्तावेज मे प्रार्थी के पिता का नाम वनाराम दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी मे प्रार्थी के प्राकृतिक पिता गिरधारीराम का नाम गलत दर्ज किए जाने के कारण प्रार्थी को क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि गोबरराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर सही नाम गोबरराम गोदपुत्र वनाराम इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

3.उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम साजियाली मूलराज क्यार 11 तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिस पर प्राथी का कब्जा काश्ल आ रहा है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

के प्राकृतिक पिता का गिरधारीराम है,जबकि प्रार्थी वनाराम की कोई जायंदा संतान नही होने के कारण वनाराम द्वारा हिन्दू रिति रिवाज की रस्म निभाते हुए प्रार्थी को गोद लिया गया था। विवादित भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम वनाराम दर्ज किए जाने के बजाय घेरलू बोलचाल भाषा मे प्रार्थी के प्राकृतिक पिता गिरधारीराम का नाम दर्ज कर लिया गया,इस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा प्रार्थी को सरकारी योजनाओ का परिलाभ नही मिल रहा है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड,राशनकार्ड,वोटर कार्ड,पेनकार्ड,जॉबकार्ड,बैकडायरी व किसान कार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम वनाराम दर्ज है,जो कि सही है। लेकिन विवादित भूमि मे अशुद्व वल्यित दर्ज होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में अशुद्व प्रविष्टि गोबरराम पुत्र गिरधारीराम के स्थान पर सही प्रविष्टि गोबरराम गोदपुत्र वनाराम इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावे।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम साजियाली मूलराज क्यार द्वितिय तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 39 क्षेत्रफल 7.0415 हैक्टयर भूमि गोबरराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है,जो कि पत्रावली के संलग्न जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे मुख्य तर्क दिया कि प्रार्थी वनाराम का गोद पुत्र है,लेकिन विवादित भूमि के रिकॉर्ड मे प्रार्थी के प्राकृतिक पिता गिरधारीराम अशुद्व नाम प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जिसके स्थान पर गोबरराम गोदपुत्र वनाराम दुरूस्त किया जावे। प्रार्थी द्वारा गोदपुत्र वनाराम दर्ज करवाने के समर्थन मे गोदनामा प्रति पेश नही की गई,जिससे साबित होता हो कि प्रार्थी वनाराम के गोद गया हो। इसके अलावा विप्रार्थी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे भी प्रार्थी की वल्दियत शुद्वि किए जाने की अनुशंसा नही की गई,और न ही रिपोर्ट मे वनाराम के गोद जाने बाबत गोदनामा दस्तावेज होना पाया है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी वल्दियत शुद्वि करवाने का हकदार नही है,इसके अलावा प्रार्थी यह कही साबित नही कर पाया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि मे नाम प्रविष्टि किसी आधार पर हुए है और यह भी नही बता पाए है कि विवादित भूमि मे अशुद्व प्रविष्टि रिकॉर्ड संघारण के दौराने हुआ है। धारा 136 के अतंर्गत वही प्रकरण लाए जा सकते है,जो कि रिकॉर्ड संघारण के दौराने लिपिकीय त्रुटि हुए हो,जो कि विषयक प्रकरण मे ऐसा होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन से नही होना पाया है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थी का आवेदन पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार) 15/09/2025
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15-09-25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी 15/09/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा